शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–3988 / नौ–5–13–03एनजीआरबीए / 2013

प्रेषक,

सी.बी. पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाराणसी / इलाहाबाद / कानपुर / मेरठ / आजमगढ़ / मिर्जापुर / लखनऊ मण्डल।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः ०७ अगस्त, 2013

विषयः–राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) कार्यक्रम के अन्तर्गत "रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट" संबंधी परियोजनाओं के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी (मुख्य धारा) एवं इसकी दो सहायक नदियों (काली पूर्व एवं राम गंगा) को प्रदूषण मुक्त करने हेतु निम्नलिखित चार प्रकार की परियोजनाएं लागू करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा हैः–

1. नगरीय जलोत्सारण योजनाएं।
2. औद्यिगिक प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं।
3. नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण योजनाएं।
4. रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट योजनाएं।

2– उपरोक्त कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर लागू किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसकी कार्यकारी समिति मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेशा शासन की अध्यक्षता में गठित है। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति की दिनांक–21.05.2013 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्य योजना में शामिल योजनाओं की डी.पी.आर. प्राथमिकता पर बनवायी जायें। रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट की परियोजनाओं को तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन का कार्य सिंचाई विभाग के बजाय, संबंधित नगरों के विकास प्राधिकरणों से कराया जाय। उक्त कार्य हेतु संबंधित नगर का विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी होगा तथा सिंचाई विभाग, नगर निगम व उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अपने से संबंधित बिन्दुओं पर सहयोग प्रदान किया जायेगा। **दिनांक–21.05.2013 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।**

3– यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इलाहाबाद एवं कानपुर नगरों में रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट की योजनाएं वार्षिक कार्य योजना 2013–14 में शामिल है, जिनका विरचन प्राथमिकता पर कराया जाना है। साथ ही वाराणसी नगर के अविकसित घाटों की योजनाएं भी बनायी जानी आवश्यक हैं। यह कार्य राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर. बी.ए.) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषित होगा तथा इसका अनुश्रवण "उ0प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण" 2–लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

.....2/–

4– रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट की योजनाओं के विरचन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश (Guidelines) भारत सरकार की वेबसाइट (www.google.co.in में search करें ngrba) पर उपलब्ध है। सुलभ संदर्भ हेतु गाइड लाइन की छाया प्रति संलग्न की जा रही हैं, जिसके आधार पर योजनाओं के कंसेप्ट नोट/एफ.आर./डी.पी.आर. बनवाये जाने हैं।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त तीनों नगरों के साथ गंगा नदी (मेन स्टेम) के तट पर बसे अन्य नगरों (बलिया, गाजीपुर, मीरजापुर, बिठूर, बिल्हौर, गढ़मुक्तेश्वर, गंगाघाट आदि, जहाँ कहीं भी रिवर फ्रण्ट डेवलपमेंट के कार्य क़राये जाने आवश्यक हों) में रिवर फ्रण्ट डवलपमेन्ट की योजनाओं के प्राक्कलन तैयार कराकर परियोजना निदेशक, उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, 2–लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित नगरों के विकास प्राधिकरणों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि इसे समय से भारत सरकार को संदर्भित किया जा सकें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3988(1)/नौ–5–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, 2–लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, वाराणसी/इलाहाबाद/कानपुर/मेरठ/गाजीपुर/हापुड़/बलिया/मीरजापुर/उन्नाव।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ.0प्र0, लखनऊ।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी/इलाहाबाद/कानपुर/मेरठ।
9. मुख्य अभियन्ता(गंगा), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
10. तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण, 2–लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, लखनऊ।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया/गाजीपुर/बिल्हौर (कानपुर नगर)/गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)/गंगाघाट (उन्नाव)।
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बिठूर (कानपुर नगर)
13. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।